न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 58 / 2022

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी –
जगदीश पुत्र जुगताराम जाति विश्नोई निवासी कातरला, धोरीमन्ना (मैसर्स श्रीनाथ चिलिंग सेंटर, धोरीमन्ना जिला बाड़मेर)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री नरपतसिंह चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 18.06.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रार्थी ने दौराने गश्त दिनांक **23.08.2022** को अप्रार्थी के प्रतिष्ठान **मैसर्स श्रीनाथ चिलिंग सेंटर, धोरीमन्ना जिला बाड़मेर** के निरीक्षण के दौरान एक फ्रीज में विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **दूध (मिक्स)** भरा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **02 लीटर दूध (मिक्स)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1730** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **दूध (मिक्स)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **दूध (मिक्स)** का नमूना **अवमानक (Sub-standard)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर प्रकट किया कि अप्रार्थी स्थानीय दुग्ध उत्पादक पशुपालकों से दूध का क्रय करता है एवं इस दूध को एमदम शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण समझ कर अपने सेंटर पर केवल चिलिंग का कार्य करता है। खाद्य पदार्थ के लिए गये नमूने का अवमानक आने से स्वयं अप्रार्थी चिंतित है। हालांकि किसी उपभोक्ता की तरफ से कोई शिकायत नहीं रही है फिर भी अप्रार्थी इस बात से गिल्टी फील करता है। अप्रार्थी का मंतव्य उसके ग्राहकों को सदैव अच्छी क्वालिटी की सामग्री बेचना है। मौसम के हिसाब से तथा दुधारू पशुओं का दूध मिक्स होने से कई बार लेबोरेटरी में अपेक्षित मापदण्ड का परिणाम नहीं आता है। लिहाजा अप्रार्थी द्वारा अनजाने में यह प्रथम अपराध हुआ है जिसके लिए वह क्षमा प्रार्थी है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध परिवाद ड्रॉप फरमाया जावे।

3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **30.08.2022** में उक्त नमूना **अवमानक (Sub-standard)** खाद्य का पाया गया है। इस पर अप्रार्थी को पदाभिहीत अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब/उजर प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट अनुसार **Milk fat मानक स्तर न्यूनतम 4.5% के मुकाबले में 3.9%** पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिरक्षण में खाद्य पदार्थ के अवमानक पाये जाने के संबंध में कोई ठोस एवं तथ्यपरक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार खाद्य पदार्थों की मानकता के स्तर का नहीं होने से उसकी गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी का है। लिहाजा अप्रार्थी के

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर अपराध की गम्भीरता को देखते हुए अप्रार्थी पर **रूपये 20,000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 18.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर (राज.)
सत्यमेव जयते